


## नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी में आम के फलों के दोहन हेतु वर्ष 2021-22 के लौटों का सार्वजनिक नीलाम दिनांक 25-03-2022 को प्रातः 12.00 बजे प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय में किया जायेगा। अतः इच्छुक क्रेताओं से अनुरोध है कि वे नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर बोली देने का कष्ट करें।

क्र० सं०	लौट संख्या	रेंज का नाम	किस्म लौट	क्षेत्र का नाम	आम फल वृक्षों की संख्या
1	32/L/2021-22	चौहड़पुर	आम फल बहार	सेलाकुई-हरबर्टपुर चौक तक 20 से 34 किमी० तक	80
2	33/L/2021-22	—"—	—"—	हरबर्टपुर से अम्बाड़ी किमी० 229 से 241 तक	40
3	34/L/2021-22	तिमली	—"—	दरारीट-4, 5 व 6, धर्मावाला-9ए, 10ए, 12बी, 13ए	19
4	35/L/2021-22	—"—	—"—	देहरादून-पांवटा मार्ग किमी० 36 से 41 तक	35
योग					174

## नियम व शर्तें

1. इस नीलाम की कार्यवाही में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी विक्रय नियम लागू होंगे तथा वर्ष 2021-22 के मध्य कोई भी संशोधन का मानने हेतु बाध्य होंगे।
2. नीलाम में बोली देने से पूर्व क्रेता लौटों व वृक्षों को भली भांति निरीक्षण कर ही बोली दें। यदि कोई शंका हो तो सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, वन दरोगा व वन रक्षक से शंका समाधान कर लें।
3. रूपये 10,000/- तक विक्रय की गई लौटों की समस्त धनराशि बोली छूटने के तुरन्त बाद जमा करनी होगी।
4. ओला, आंधी, फलों के रोग या अन्य दैवी आपदा जैसे आग आदि के कारण बौर या फलों की कोई क्षति होगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. फलदार वृक्षों को दोहन के समय किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिये यदि किसी भी क्रेता द्वारा फलदार वृक्षों को क्षति पहुँचाई जायेगी तो वह क्रेता को भरनी होगी।
6. विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ही बोली में भाग ले सकते हैं।
7. नियमानुसार कर देय होगा।
8. उक्त नीलामी से सम्बन्धित विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून Arbitrator होंगे।
9. अन्य जानकारी प्रधान लिपिक एवं रेंज कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,  
कालसी।


# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी।

पत्रांक 2435 /9-1 , दिनांक, कालसी 16/03, 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- 2- वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
- 4- मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0, 87 राजपुर रोड, देहरादून को इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्त नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5- उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- वन क्षेत्राधिकारी, चौहडपुर, तिमली तथा लांघा को अतिरिक्त प्रतियों सहित ठेकेदारों के मध्य वृहद प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- 7- श्री महावीर प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 श्री काशीराम गुप्ता, हलवाई हट्टा, पो0 सहारनपुर जिला सहारनपुर।
- 8- श्री मुकुल गुप्ता पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी 11/17, प्रतापनगर, रायवाला, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
- 9- श्री असगर अली, ग्राम कुल्हाल, पो0 धर्मावाला, देहरादून।
- 10- श्री हेम कुमार मित्तल पुत्र स्व0 पृथ्वी सिंह, हलवाई हट्टा पो0 सहारनपुर जिला सहारनपुर।
- 11- श्री अखिल जैन पुत्र श्री प्रदीप जैन, हलवाई हट्टा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त सम्बन्धित ठेकेदार।
- 13- सूचना पट।

I. T. G. C  
डॉ. कपिलेश काँ  
पेजी- कडो  
22/3/23

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,  
कालसी।